

**आजमगढ़ वन प्रभाग:-**

| आपत्तियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं हैं।                                                                                                                                                          | प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर अंकित कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. वन प्रभाग में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वनभूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।                                                                             | आपत्ति में दिये हुये विवरण की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।                                                                                                                                                                           | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न नहीं है तथा ऑनलाइन भाग-2 में केवल 439 वृक्ष ही अपलोड किये गये हैं जबकि परियोजना में 1564 बाधक वृक्षों का उल्लेख है। अतः आजमगढ़ वन प्रभाग में बाधक सभी वृक्षों का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची तथा सारांश संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें। | वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है। वन प्रभाग में बाधक सभी वृक्षों का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची तथा सारांश संलग्न है। 439 वृक्ष जिनका व्यास 30 सेमी0 से अधिक है उन्हें आनलाईन अपलोड किया गया है शेष वृक्ष 30 सेमी0 से कम व्यास के हैं जिन्हें आनलाईन अपलोड किया जाना सम्भव नहीं था। |
| 5. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि की 1:50000 माप की संक्षिप्त टोपोशीट संलग्न है। अतः फुल साइज की 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।                                                                                                      | फुल साइज की 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न एवं अपलोड है।                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।                                                                                                                           | निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                              |

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
आजमगढ़

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बड़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।                                                                                                            | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।                         |
| 8. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु योग में 27.059 अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः पूर्ण धनराशि अंकित करें।                                                                                                                                                         | त्रुटिपूर्ण धनराशि को संशोधित कर पूर्ण धनराशि अंकित है।                            |
| 9. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।                                                                                                                                                                                            | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।                         |
| 10. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक- 5,6 व 7 में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया गया है। अतः क्रमांक-5 में "The area is covered under plantation working circle of the working plan. क्रमांक-6 में "The area is not vulnerable to soil erosion एवं क्रमांक-7 में शून्य फीड करें।                                | ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक- 5,6 व 7 का सही विवरण अंकित कर दिया गया है।                |
| 11. ऑनलाइन भाग-2, Addition Information Details में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र नाम सहित अपलोड नहीं किये गये हैं।                                                                                                                                                                                          | सभी आवश्यक प्रमाण पत्र नाम सहित अपलोड कर दिया गया है।                              |
| 12. हार्ड कापी भाग-2 में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष हरियाली घनत्व अंकित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                      | हार्ड कापी भाग-2 में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष हरियाली घनत्व अंकित कर दिया गया है। |
| 13. आजमगढ़ वन प्रभाग में उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि की खतौनी व सहमत पत्र संलग्न नहीं है।                                                                                                                                                                                                         | गैर वनभूमि की खतौनी व सहमत पत्र संलग्न है।                                         |
| 14. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष ऑनलाइन भाग-2, क्रमांक-13 में फीड किया गया विवरण डिलीट करें, क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समेकित रूप से अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर विषयगत परियोजना हेतु नोडल अधिकारी नामित होने के कारण उनके द्वारा भरा जाना है। | ऑनलाइन भाग-2, क्रमांक 13 में फीड किया गया विवरण डिलीट कर दिया गया है।              |

  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक वनिकी प्रभाग  
 आजमगढ़